दिनाँक 06-02-2023 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :-

दिनाँक 06-02-2023 को अपराह्न 04:30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया, हाथरस की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु सूचीबद्ध फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा विरचित **15 नग डी0पी0आर0** के अनुमोदन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।
6. जिला कृषि अधिकारी, हाथरस।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, हाथरस।
8. सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रा0), हाथरस।
9. सहायक अभियन्ता, (डी0डब्ल्यू0एस0एम0),उ0प्र0 जल निगम (ग्रा0),हाथरस।
10. डी0जी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0, नई दिल्ली।
11. जिला समन्वयक, मै0 मेधज टैक्नो कान्सेप्ट (डी0पी0एम0यू0), हाथरस।
12. जिला परियोजना प्रबन्धक, मै0 आरवी एसोसियेट (टी0पी0आई0), हाथरस।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के **शासनादेश सं0 16/2021/948. छियत्तर-1-2021-25सम/2019, दिनाँक 19 मार्च, 2021** के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की **बैठक दिनाँक 13-01-2023** को आयोजित की गयी।

आयोजित बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यकम फेज-3 के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा विरचित **33 नग डी0पी0आर0 दिनाँक 20-08-2022, 35 नग** विरचित **डी0पी0आर0 दिनाँक 30-09-2022, 87 नग डी0पी0आर0 दिनांक 14-11-2022, 38 नग डी0पी0आर0 दिनाँक 22-12-2022 एवं 22 नग डी0पी0आर0 13-01-2023** को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों में अनुमोदित कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी हैं। इस प्रकार अब तक फर्म द्वारा विरचित डी0पी0आर0 में से **239 नग डी0पी0आर0** जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदित हो चुकी हैं। फर्म द्वारा विरचित अवशेष डी0पी0आर0 में से इस बैठक में **15 नग डी0पी0आर0** अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव है।

फर्म द्वारा प्रस्तुत **15 नग डी0पी0आर0 में से 14 नग डी0पी0आर0** सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयीं। 01 नग डी0पी0आर0 के रू0 5.00 करोड से अधिक की होने के कारण सीधे ही भेजी जायेगी।

उक्त **15 नग डी0पी0आर0** को सम्मलित करते हुए फर्म द्वारा विरचित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदित **डी0पी0आर0** की सं0-- **254** हो जायेंगी। बैठक में अनुमोदित की गयी डी0पी0आर0 का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क0 सं0	विकास खण्ड	पेयजल योजना का नाम	योजना में सम्मलित ग्रामों की सं0	योजना में सम्मलित अभिकल्पित आबादी (वर्ष-2053)	योजना में प्राविधानित एफ0एच0टी0सी0	वर्क कॉस्ट (करोड में)	सैनेटेज (करोड में)	कुल लागत (करोड में)	प्रतिव्यक्ति अभिकल्पित लागत वर्ष-2053 (रू0 में)
1	SASNI	TONDA	1	2242	348	1.2179	0.1234	1.3413	5432
2	MURSAN	BAMAULI	2	3598	330	2.1400	0.2207	2.3607	5792

3	HATHRAS	MAN MAHO	1	1322	181	0.6317	0.0634	0.6951	4778
4	MURSAN	LAHRA	1	6174	633	2.8767	0.2989	3.1756	4659
5	SAHPAU	LARPUR	1	7093	829	3.3632	0.3503	3.7135	4742
6	SASNI	BIJAHARI	1	20469	2045	7.7913	0.8132	8.6045	3806
7	SEHPAU	BAHADURPUR DEOKARAN	1	1676	202	0.6992	0.0684	0.7676	3853
8	HATHRAS	GANGOLI	1	3043	351	1.7504	0.1854	1.9358	5752
9	HATHRAS	KALORA	1	3253	383	1.8906	0.2003	2.0909	5812
10	SASNI	RAMPUR	1	8129	895	2.9962	0.3114	3.3076	3686
11	SIKANDRA RAO	BHATKIRA	2	6015	748	3.7697	0.3935	4.1632	6267
12	SASNI	RAHNA	1	4296	460	1.5979	0.1633	1.7612	3594
13	MURSAN	NAGLA AMRA	3	3089	339	2.113	0.2239	2.337	6842
14	SADABAD	SISTA	1	5820	605	2.6757	0.2774	2.9531	4597
15	SADABAD	AROTHA	2	6266	725	3.7234	0.4033	4.1267	5942
योग			20	62056	9074	39.2369	4.0968	47.2067	

उपरोक्त अनुमोदित 15 नग डी0पी0आर0 में से क्रमांक 06 पर अंकित डी0पी0आर0 को छोड कर सभी डी0पी0आर0 रू0 5.00 करोड से कम की होने के कारण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक से अनुमोदित की गयी हैं। क्रमांक 06 पर अंकित डी0पी0आर0 रू0 5.00 करोड से अधिक की होने के कारण उसकी वेटिंग करा कर सीधे ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की जायेंगी।

बैठक में जिलाधिकारी महोदया, हाथरस द्वारा 14 नग डी0पी0आर0 अनुमोदित करने के उपरान्त जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म क्रमशः मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 एवं मै0बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रानकी (जे0वी0) द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गयी।

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 द्वारा 103 नग ट्यूबैलों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 55 नग बोरिंग ही तैयार किये गये हैं, जिनमें से 23 नग ट्यूबैल कम्प्रेसर एवं ओ0पी0 यूनिट लगा कर डब्लप्ड किये हैं! अवशेष 32 नग बोरिंगों पर अभी तक कम्प्रेसर एवं ओ0पी0 यूनिट नहीं लगाये गये हैं, जबकि फर्म द्वारा तैयार किये जाने वाले ट्यूबैलों का साप्ताहिक लक्ष्य 06 ट्यूबैल प्रति सप्ताह निर्धारित है, जिस पर कडी नाराजगी व्यक्त करत हुए बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से लक्ष्य के अनुरूप ट्यूबैल की कम प्रगति के विषय में पूछा गया तो फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष बचे सभी ट्यबैलों का कार्य 28 फरवरी, 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा दिया जायेगा। साथ ही फर्म को यह निर्देश भी दिये गये कि जिन ग्राम पंचायतों में खारे पानी की समस्या है उनकी विस्तृत जाँच करा कर रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हाथरस को प्रत्येक दशा में 02 दिवस में उपलब्ध करायें।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा मार्ग पुर्नस्थापना के कार्य में अत्यन्त ही लापरवारी बरती जाती है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुऐ निर्देश प्रदान किये गये फर्म वितरण प्रणाली बिछाये जाने के 09 दिवस के अन्तर्गत अस्थाई मार्ग पुर्नस्थापना का कार्य करायें एवं 90 दिवस के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करते हुए स्थायी मार्ग पुर्नस्थापना का कार्य करायें एवं ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करें।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 द्वारा माह- मार्च, 2023 तक 46023 एफ0एच0टी0सी0 किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान

तक मात्र 16900 एफ0एच0टी0सी0 ही किये गये हैं, जबकि फर्म को 2652 एफ0एच0टी0सी0 प्रति सप्ताह पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति होने पर कम प्रगति के विषय में पूछा गया तो अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक श्रमिकों की संख्या से कम श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है, जिस पर कडी नाराजगी व्यक्त की गयी और बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि को अवशेष बचे एफ0एच0टी0सी0 को आवंटित साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप एफ0एच0टी0सी0 पूर्ण कराये जाने हेतु श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुऐ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही फर्म के प्रतिनिधि को अवयव वार अवशेष बचे सभी कार्यों को एक साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया गया और अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा आवंटित लक्ष्य के अनुरूप समस्त कार्यों को समय से पूर्ण नहीं किया जाता है तो फर्म के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना प्रारम्भ करें।

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत फर्म बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0) को माह-मार्च, 2023 तक 67 नग ट्यूबैल तैयार किये जाने हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए फर्म को प्रत्येक सप्ताह 5 नग ट्यूबैल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पूर्ण करने के लिए 8 रिंग मशीनों की आवश्यक्ता है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 05 नग रिंग मशीनें ही उपलब्ध करायी गयी हैं, फर्म द्वारा 04 नग कम्प्रेसर के लक्ष्य के सापेक्ष 01 नग कम्प्रेसर एवं 05 नग ओ0पी0यूनिट)के सापेक्ष एक भी ओ0पी0 यूनिट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी है एवं फर्म द्वारा माह-मार्च 2023 तक 596 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी जानी है एवं 10222 एफ0एच0टी0सी0 किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी है। बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक मशीनों के सापेक्ष कम मशीनों की संख्या के विषय में पूछा गया तो फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इस सप्ताह में 02 नग रिंग मशीन बढ़ा दी जायेगी, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्यो को एक साथ पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों की व्यवस्था एवं आवश्क सामग्री की आपूर्ति शीघ्र ही करने को कहा और अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश प्रदान किये गये कि यदि फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो फर्म के विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रारम्भ सुनिश्चित करें।

बैठक के अन्त में 14 नग डी0पी0आर0 अनुमोदित करते हुऐ समीक्षा के दौरान समस्त संबंधित को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश प्रदान किये गये

संलग्नक :- 45 कॉलम प्रारूप।

(साहित्य प्रकाश मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रॉक 130 / J.J.M-3 / 14 **दिनॉक** 13/02/2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ उपरोक्त डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
4. मै0 आरबी एसोसियेट (टी0पी0आई0), हाथरस।
5. मै0 मैधज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी0पी0एम0यू0), हाथरस।
6. परियोजना निदेशक, मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, अलीगढ़।
7. डी0जी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), हाथरस।

13/2/23
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस